कार्यालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

क्रमांक/राजस्व/12–8(1)16/1253 दिनांक : 11/07/2018

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 09.07.2018 को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र क्रमांक/11–9/98–एफसी दिनांक 03.08.2009 में दिये निर्देशानुसार जिला चित्तौड़गढ़ में भैंसरोड़गढ़-बोराव पेयजल आपूर्ति परियोजना की पाईप लाईन गुजारी जाने के लिये ग्राम जगपुरा, कोडियाखाल, भैंसरोड़गढ़, गोपालपुरा, आम्बा, भैंसरोड़गढ़ पीरमगरा, श्रीपुरा, खालगांव, नासेरा, अनसर्वेड ग्राम धांगडमउखुर्द, उमचरा, नगपुरा, बोराव व नाहरगढ़ तहसील रावतभाटा की 3.81 हैक्टेयर वन भूमि प्रस्तावित होने एवं उक्त भू भाग के लिये व्यववर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित किये जाने के संबंध में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, चित्तौड़गढ़ की बैठक आयोजित कर चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त वन क्षेत्र में कुल 3.81 हैक्टेयर का क्षेत्र भूमि व्यपवर्तन (Diversion) की जानी प्रस्तावित है इसमें किसी भी प्रकार के वनाधिकार पत्र ना होने व वनाधिकार की कोई कार्यवाही लम्बित न होने से से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

जिला स्तरीय समिति द्वारा ग्राम पंचायतों भैंसरोड़गढ़, श्रीपुरा, धांगडमऊकलां, बोराव, रम्बोलिया, गोपालपुरा तहसील रावतभाटा की 3.81 हैक्टेयर भू भाग के लिये वनाधिकार अधिनियम की दृष्टि से व्यपवर्तन (Diversion) किये जाने की अनुशंषा की जाती है। निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र पृथक से जारी किया जावे।

उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद-चित्तौड़गढ़)	जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
(सपना मीना) N.P. सदस्य, जिला परिषद (मनोनीत संदस्य जिला स्तरीय वनाधिकारी समिति)	(राजूलाल भील) N.P. सदस्य, जिला परिषद (मनोनीत सदस्य जिला स्तरीय वनाधिकारी समिति)	(गायत्री जोशी) N.P. सदस्य, जिला परिषद (मनोनीत सदस्य जिला स्तरीय वनाधिकारी समिति)

Scanned by CamScanner

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बैठक

दिनांक 28/06/2018

आज दिनांक 28/6/2018 को उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा द्वारा की गई। जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य उपस्थित हुये।

क्र.सं.	नाम	पद	मो.नं.	हस्ताक्षर
1.	श्री कैलाशचन्द्र शर्मा	उपखण्ड अधिकारी	9001980992	
2.	श्री श्रीकान्त व्यास	तहसीलदार	9351117312	
3.	श्री कालुराम मीना	विकास अधिकारी	9413801095	
	~~श्री D.R. सोनी~~	~~XEn PHED (प्रोजेक्ट भैंसरोड़गढ़)~~	~~9414423953~~	
4	श्री राजेन्द्र गुप्ता जी	ACF/Ro	94686-67186	
5.	श्री शिवराम मीना	AEn PWD		
	श्री महावीर मीना	AEn. PHED	9414328677	
7	श्री बलदेव सिंह गौड़	प.स. सदस्य		बलदेव
8.	श्री रतन/प्रेम मीणा	ILR.	9530311802	
9.	सुश्री रोहिणी महावर	पटवारी	7734099528	
10.	ज्योति चौरसिया	पटवारी		
11.	श्री मुरलीधर	पटवारी	8766174531	
12.	श्री भूप सिंह गुर्जर	पटवारी	9530311794	
13.	श्री भैरूलाल जाट	पटवारी	9001929339	
14.	श्री दिनेश वर्मा	JEN RSEB(RVPN)	(9413393789)	
15.	श्री शम्भुदयाल	Ranger जवाहरसागर		
16.	प्रेम कंवर	वन रक्षक (वन्यजीव अभ्यारण्य भैंसरोड़)		
17.	अंकित खोरवाल	AEN PHed	7597403387	अंकित

(1) इस बैठक में पंचायत समिति भैंसरोड़गढ़ के 38 गांवों एवं 27 ढाणियों की पेयजल परियोजना हेतु फोरेस्ट की भूमि से लाइन निकाली जानी है। जिसका विवरण एवं ग्राम स्तरीय समिति की अनुशंषा उपखण्ड स्तरीय समिति के समक्ष रखी गई। लाईन जो वन विभाग की भूमि से निकाली जानी है वो निम्न प्रकार है ग्राम जगपुरा के खसरा नं. $\frac{93}{.0310}$, $\frac{97}{0.0100}$, $\frac{31}{0.0680}$ कुल किता 03 कुल रकबा 0.1090 ग्राम कोडियासाल ख.नं. $\frac{38}{0.0780}$ ग्राम भैंसरोड़गढ़ $\frac{504}{0.0320}$ ग्राम गोपालपुरा ख.नं. $\frac{652}{0.1060}$

P.C.

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा

Scanned by CamScanner

(अनसर्वे)
ग्राम आम्बा, रकबा 0.0250 मैंसरोड़ पीर मगरा 0.4780, (अनसर्वे) ग्राम सीपुरा 445/0.0110, 413/0.0170, 414, 454, 133, 121, 51, 632, 639 कुल रकबा 1.290 ग्राम खातगांव ख.नं. 116 रकबा 0.0720 ग्राम नासेरा रकबा 0.1120 (अनसर्वे) ग्राम धागधरउड़र्दा ख.न. 896, 899, 895, 887, 886, 882, 754, 782, 777, 798, 799, 800, 974, 1120, 979, 981, 980, 631, 632, 636, 683, 682, ~~355~~, 357, 397 कुल रकबा 1.1431 है० ग्राम उमरथा ख.नं. 246, 247, 249 कुल रकबा 0.1540 है० ग्राम नगपुरा ख.नं. 731 रकबा 0.073 है० ग्राम बोराव ख.न. 131, 130, 129, 128, 104 कुल रकबा 0.0595 है० ग्राम नाहरगढ़ ख.न. 327 रकबा 0.0396 है० सभी कुल रकबा 3.8122 है० है। उक्त भूमि पेयजल योजना हेतु प्रस्तावित की गई है। उक्त प्रस्तावित वन भूमि में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं 2008) के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है। एवं वर्तमान में किसी प्रकार का कोई आवास नहीं है। और ना ही कोई आबादी क्षेत्र सामान्य/जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी क्षेत्र को प्रभावित करता है। ~~कोई~~ तथा न ही कोई वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा जारी करने हेतु पत्रावली लम्बित है।

(2) ~~132 KV GSS कुआरखेड़ा के विद्युतीकरण हेतु 132 KV आर.पी.एस. - गांधीसागर विद्युत लाईन से जोड़कर नई 132 KV लीलो लाईन के निर्माण हेतु ग्राम वार ख.न. निम्न है। ग्राम पीपल्दा ख.न. 335 रकबा 1.0449 ग्राम दोतड़ा में ख.न. 558, 556, 554, 526, 527, 511 रकबा 9.8356 है० ग्राम रामपुरिया ख.नं. 36 रकबा 2.9695 है० ग्राम अनसर्वे रकबा 4.8665 है० ग्राम (उम्मेदपुरा) नयागांव ख.न. 725, 726, 738, 740, 674, 668 कुल रकबा 5.668 है० समस्त कुल रकबा 24.3853 है० भूमि विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित है।~~ उक्त प्रस्तावित वन भूमि में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम (2006 एवं 2008) के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है। एवं वर्तमान में किसी प्रकार का कोई आवास नहीं है। और ना ही कोई आबादी क्षेत्र सामान्य/जनजाति/अन्य

R.C. [signature]
अधिकारी

Scanned by CamScanner

परम्परागत वन निवासी क्षेत्र को प्रभावित करता है। तथा न ही कोई वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा जारी करने हेतु पत्रावली लम्बित है।

उक्त प्रस्तावित भूमियों को पेयजल योजना एवं विद्युतीकरण के कार्य हेतु उपयोग में लिया जाता है तो उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति को कोई आपत्ति नहीं है। इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

(डी. आर. सोनी)
XEN., PHED
Project Dir. Chittorgarh

AEN PHED

अंकित
AEN, PHED
Proj Div COR

Dinesh
JEN - RVPN (Rawatbhata)

BDO
भैंसरोड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा

Scanned by CamScanner